राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 545/2025

फूलचंद मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
2. शासन उप–सचिव, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
3. विकास यादव, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण औप्रस, बूंदी में उपनिदेशक के पद पर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाकर प्रत्यर्थी विभाग में अधीक्षक के पद पर अक्टूबर 2009 में की गई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 30.10.2009 को कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2017 में सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति की गई। तब से अपीलार्थी उक्त पद पर कार्यरत् है। अपीलार्थी स्वीकृत व रिक्त पद पर सहायक निदेशक प्रशिक्षण के पद पर उत्पादन केन्द्र, जयपुर में कार्यरत् था। अपीलार्थी को उक्त स्थान पर फरवरी 2024 में ही पदस्थापित किया गया था। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने फरवरी 2024 में ही कार्यग्रहण किया था। कार्यग्रहण के 10 माह की अल्पावधि में ही निजी प्रत्यर्थी को अनुचित रूप से स्वयं की प्रार्थना पर इच्छित स्थान पर पदस्थापित करने के आशय से आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 जिसको दिनांक 16.01.2025 को 11.21 पीएम पर जारी किया गया है। जिसका विभाग में मेल प्राप्त हुआ है। इसलिए प्रत्यर्थी सं. 2 ने डिजीटल हस्ताक्षर नहीं किये है। पिछली तारीख डालते हुए आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना रिक्त पद के पद विरूद्ध उप निदेशक के पद पर औप्रस बूंदी में उपनिदेशक प्रशिक्षण के पदविरूद्ध पदस्थापित किया है तथा निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को फरवरी 2024 में ही सहायक निदेशक प्रशिक्षण के पद पर उत्पादन केन्द्र, जयपुर में पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी को उक्त पद पर करीब 10 माह ही हुए है। 10 माह की अल्पावधि में ही अपीलार्थी का पिछले 1 वर्ष में

दूसरा स्थानान्तरण किया गया है जो फ्रिक्वेन्ट स्थानान्तरण की परिभाषा में आता है। माननीय उच्च न्यायालय ने रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम सरकार में यह निर्धारित किया है कि अल्पावधि में किये गये स्थानान्तरण अवैध व अनुचित है तथा माननीय उच्च न्यायालय ने भगवान दास मित्तल बनाम सरकार में यह निर्धारित किया है कि किसी भी कार्मिक का 2 वर्ष 2–3 बार स्थानान्तरण करना फ्रिक्वेन्ट स्थानान्तरण की श्रेणी में माना जायेगा। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने हेतु दिनांक 15.01.2025 तक प्रत्यर्थी विभाग को स्थानान्तरण करने की छूट प्रदान की थी। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 15.01.2025 की मध्यरात्रि तक आलौच्य आदेश जारी नहीं किया था। प्रत्यर्थी सं. 2 ने आलौच्य आदेश दिनांक 16.01.2025 को 11.21 एएम पर जारी करते हुए विभाग में मेल किया था। उक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि आलौच्य आदेश प्रतिबंध अवधि में पिछली तारीख डालते हुए जारी किया गया है। अपीलार्थी को पद रिक्त नहीं होने के कारण उप निदेशक प्रशिक्षण के पद विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने आलौच्य आदेश प्रशासनिक व जनहित में जारी नहीं किया है। आलौच्य आदेश केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी की स्वयं की प्रार्थना पर इच्छित स्थान पर पदस्थापित करने के आशय से जारी किया गया है। इसलिए निजी प्रत्यर्थी सं. ३ को क्रम सं. 11 को योगकाल एवं यात्रा भत्ता नहीं दिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के पास अगर अपीलार्थी का आलौच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण करना ही था तो सहायक निदेशक प्रशिक्षण के पद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आमेर, जयपुर तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खोह नागोरियान में पद रिक्त थे। परन्तु स्वीकृत पदों पर पदस्थापित नहीं करके अपीलार्थी को बिना रिक्त पद के पद विरूद्ध पदस्थापित किया है। अपीलार्थी की पत्नी डीएसओ प्रथम के पद पर जयपुर में कार्यरत् है। राज्य सरकार के स्थानान्तरण निर्देशों के अनुसार राजकीय सेवा में कार्यरत् पति–पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रखा जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्देशों के विपरीत जाकर अपीलार्थी का आलौच्य आदेश के द्वारा पत्नी के पदस्थापन से दूर बूंदी जिले में स्थानान्तरण किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान सहायक निदेशक प्रशिक्षण के पद पर उत्पादन केन्द्र, जयपुर में ही पदस्थापित में ही कार्यरत रखा जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत है। आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक निदेशक प्रशिक्षण, उत्पादन केन्द्र, जयपुर से

औप्रस बूंदी में उपनिदेशक प्रशिक्षण के पद विरूद्ध पदस्थापित किया है। बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी को वर्तमान पद पर करीब 10 माह ही हुए है और 10 माह की अल्पावधि में ही अपीलार्थी का पिछले 1 वर्ष में दूसरा स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर फरवरी 2024 में ही कार्यग्रहण किया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना रिक्त पद के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समायोजित करने के लिए किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है। प्रत्यर्थी विभाग को अगर अपीलार्थी का आलौच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण करना ही था तो सहायक निदेशक प्रशिक्षण के पद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आमेर, जयपुर तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खोह नागोरियान में पद रिक्त थे। अपीलार्थी को आस–पास में रिक्त पद होने के बावजूद दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किया गया है। अतः आलौच्य आदेश निरस्त कर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान सहायक निदेशक प्रशिक्षण के पद पर उत्पादन केन्द्र, जयपुर में ही पदस्थापित रख जाने का निवेदन जारी किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उपनिदेशक के उच्चतर पद पर पदस्थापित किया गया है। स्थानान्तरण सेवा का अभिन्न अंग है एवं नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह कार्मिकों के सेवाए प्रशासनिक आवश्यकता के अनुभव लेवे। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश में हम कोई नियमों का उल्लघंन नहीं पाते है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र अन्य लम्बित आवेदन भी इसी प्रकरण पर निस्तारित किए जाते है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य